-प्रेस नोट-

दिनांक: 08.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बड़गाँव, सहारनपुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म का 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 मोबाईल फोन बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 06.04.2024 को वादिया ने एक लिखित प्रार्थना पत्र बाबत अभियुक्त मोनू पुत्र राकेश कश्यप निवासी ग्राम मियानगी थाना बडगांव जिला सहारनपुर द्वारा वादिया की भतीजी को शादी के झांसे में लेकर उससे दुष्कर्म करना, उसके अपत्तिजनक फोटो व वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफार्म व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वायरल करना तथा उसके परिजनो को जान से मारने की धमकी देने के संबंध में थाना बड़गाँव पर मु0अ0सं0 79/24 धारा 376/506 भादवि व 67 आईटीएक्ट बनाम मोनू पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर जनपद में अपराध नियंत्रण, महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए गए। इसी आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक बडगाँव श्री संजीव शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08.04.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना बडगांव पुलिस द्वारा उपरोक्त मुकदमे में वांछित **अभियुक्त मोनू पुत्र राकेश कश्यप निवासी ग्राम मियानगी थाना बडगांव जिला सहारनपुर को** गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 मोबाईल फोन ओप्पो बरामद किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

मोनू पुत्र राकेश कश्यप निवासी ग्राम मियानगी थाना बडगांव जनपद सहारनपुर

अभियुक्त से बरामदगी का विवरण -

- 01मोबाईल फोन ओप्पो मॉडल (एन्ड्राईड)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम-

1- श्री मीरपाल तेवतिया अतिरिक्त निरीक्षक थाना बडगांव जिला सहारनपुर
2- उ0नि0 श्री भारत सिंह थाना बडगांव जिला सहारनपुर
3- हे0कां0 1071 सुबोध कौशिक थाना बडगांव जिला सहारनपुर
4- कां0 2237 योगेन्द्र कुमार थाना बडगांव जिला सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक: 08.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बड़गाँव, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शराब तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 40 लीटर कच्ची शराब बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन -2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण, अवैध शराब के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक बडगाँव श्री संजीव शर्मा के कुशल नेतृत्व में दिनांक 07.04.24 को मुखबिर की सूचना पर थाना बडगांव पुलिस द्वारा 01 शराब तस्कर **अभियुक्त प्रदीप पुत्र मामचन्द निवासी ग्राम मोरा थाना बडगांव जिला सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 40 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना बडगांव पर मु0अ0सं0 81/24 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि मैं कम पढा लिखा हूँ व नशा करने का आदि हूँ। देशी शराब सस्ते दाम में खरीदकर आस पास के क्षेत्रों में अधिक कीमत में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम पता-

प्रदीप पुत्र मामचन्द निवासी ग्राम मोरा थाना बडगांव जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

40 लीटर कच्ची शराब ।

अभियुक्त उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 41/21 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना बडगांव जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम-

1- उ0नि0 श्री पंकज कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
2- हे0कां0 544 राहुल कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
3- हे0कां0 229 राजतोमर थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
4- हो0गा0 2022 धर्मवीर सिंह थाना बडगांव जनपद सहारनपुर

दिनांक: 08-04-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बडगांव सहारनपुर, पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण,वांछित/वारण्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08.04.24 को थाना बडगांव पुलिस टीम द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त **पप्पू पुत्र फूल्ला निवासी ग्राम चन्दपुर थाना बडगांव जनपद सहारनपुर** सम्बन्धित वाद **संख्या 253/16 , मु0अ0सं0 71/07 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम** थाना बडगांव को उसके घर से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

पप्पू पुत्र फूल्ला निवासी ग्राम चन्दपुर थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

1. उ0नि0 भारत सिंह थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।
2. हे0कां0 1071 सुबोध कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।
3. हो0गा0 2096 प्रदीप कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।

दिनांकः 08.04.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 जिला बदर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 नाजायज चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत अपराध नियंत्रण एवं **जिला बदर अपराधियों की निगरानी** एवं गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना आज दिनांक 08.04.2024 को एक जिला बदर अभियुक्त **सलमान उर्फ खानू पुत्र जुल्फकार उर्फ फक्कर निवासी ग्राम शेरपुर थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर** को ग्राम शेरपुर में पीएनबी बैक के पास से एक अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त **सलमान उर्फ खानू** उपरोक्त को मा0 न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक 04.04.2024 से 06 माह के लिये जिला बदर किया गया था। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना बिहारीगढ पर **मु0अ0सं0 69/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट व 10 यू0पी0 गुण्डा अधि0** पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सलमान उर्फ खानू पुत्र जुल्फकार उर्फ फक्कर निवासी शेरपुर थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 191/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 212/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 213/21 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 69/2024 धारा 4/25 आयुध अधिनिमय व 10 यू0पी0 गुण्डा अधि0 थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री बिजेन्द्र सिंह थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
2. का0 2375 मोहित कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 08.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी , सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से कुल 150 ग्राम नाजायज चरस बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत अपराध नियंत्रण, मादक पदार्थो के अवैध कारोबार की रोकथाम एवं इसमें संलिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिहं के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08.04.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त **साजिद पुत्र मरहूम इकबाल ,निवासी मौहल्ला जाकिर हुसैन,कस्बा व थाना चिलकाना जिला सहारनपुर** को चन्द्रभान की पुलिया की ओर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से कुल **150 ग्राम नाजायज चरस** बरामद हुई। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली मण्डी पर **मु0अ0सं0 152/24 धारा 8/20 NDPS ACT** पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त साजिद उपरोक्त ने बताया कि मै कम पढ़ा लिखा हूं, व नशा करने का आदि हूं। चरस सस्ते दाम में खरीदकर आस पास के क्षेत्रों में अधिक किमत पर बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेता हूं। आज जब मै चरस बेचने जा रहा था, तो पुलिस टीम द्वारा मुझे पकड लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

साजिद पुत्र मरहूम इकबाल ,निवासी मौहल्ला जाकिर हुसैन,कस्बा/थाना चिलकाना जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण –

150 ग्राम चरस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 प्रवेज कुमार थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
2. हे0का0 294 मौहम्मद राशिद कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर

दिनांक- 08.04.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 125 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध मादक पदार्थ एवं इनके कारोबार में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 08.04.2024 को थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर अभियुक्त **आकाश पुत्र सतीश निवासी रविदास मंदिर के पास ग्राम फतेहपुर भादों थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर** को फतेहपुर भादों बिजलीघर के पास खड़ंजे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 125 ग्राम अवैध चरस बरामद हुयी । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 72/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय समक्ष के पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ तथा नशा करने का आदी हूँ तथा अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए चरस उत्तराखण्ड से लाकर यहा बेच देता हूँ जिसे मैं बेचकर अच्छे पैसे कमा लेता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

आकाश पुत्र सतीश निवासी रविदास मंदिर के पास ग्राम फतेहपुर भादों थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

125 ग्राम अवैध चरस बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री सौरभ यादव थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. है0का0 738 विनोद कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
3. हो0गा0 पीसी 1205 रमेश राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

दिनांक- 08.04.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने वाला 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर व 01 जिंदा कारतूस बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 15.01.2024 को वादी व0उ0नि0 श्री नरेश सिहँ थाना सरसावा जनपद सहारनपुर द्वारा अर्जुन मोगा कस्बा सरसावा व 30 से 35 अन्य लोगो के विरुद्ध थाना सरसावा पर मु0अ0सं0-10/2024 धारा 147/148/149/307/352/341/323/504/506 भादवि व 7 सीएल एक्ट पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का संज्ञान लेकर तत्काल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए गये जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्वेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र कुमार राय के कुशल नेतृत्व में उपरोक्त मुकदमें में वाछिँत **अभियुक्त अजुर्न पुत्र घनश्याम निवासी मौ0 पूर्वी अफगानान कस्बा व थाना सरसावा** को नकुड रोड हाईवे आवरब्रिज के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 तमंचा/01 जिन्दा कारतूय 315 बोर बरामद हुआ। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि तो बताया की हमारे दो पक्ष है जिनमे एक अजय प्रधान भिक्कनपुर सरसावा गुट है जिसके हम दोनो सदस्य है तथा दूसरा गुट परिक्षित तेलीपुरा थाना चिलकाना का है दोनो पक्ष अपने वर्चस्व को लेकर मौबाइल फोनो पर एक दूसरे पर टिका टिप्पणी करते रहते है जिस कारण दोनो पक्षों मे काफी तनाव है तथा कई बार आपस मे पूर्व मे एक दूसरे पर फायरिंग कर चुके है इसी बात को लेकर आज भी दोनो पक्षो द्वारा कस्बा सरसावा के पास स्थित जियो पेट्रोल पम्प के सामने एकत्र होकर एक दूसरे के साथ मारपीट, डण्डा सरिया आदि व गाली गलौच व जाने से मारने की धमकी देना व तमन्चो से एक दूसरे पर जाने से मारने की नियत से फायरिंग की गयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अजुर्न पुत्र घनश्याम निवासी मौ0 पूर्वी अफगानान कस्बा व थाना सरसावा

बरामदगी का विवरण-

- 01 तमंचा/01 जिंदा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सुभाष चन्द्र सरसावा जनपद सहारनपुर।
2. हे0का0 1006 तरूण कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
3. हे0का0 892 अजय राठी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
4. हे0का0 1050 नितिन थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
5. का0 1259 विनीत कुमार थाना सरसावा सहारनपुर

दिनांक- 08.04.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 नाजायज चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में आगामी लोक सभा निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियन्त्रण हेतु अवैध शस्त्र एवं इनके कारोबार में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक सदर बाजार के कुशल नेतृत्व में गठित टीम द्वारा दिनांक 08.04.2024 को चैकिंग/गस्त के दौरान अभियुक्त **राहुल पुत्र राजेन्द्र निवासी पीर माजरा थाना कुतुबशेर सहारनपुर** उम्र करीब 23 वर्ष को काशीराम से मवीकला जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 चाकू नाजायज बरामद हुआ ।बरामदगी के आधार पर थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 -208/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त का नाम पताः-

राहुल पुत्र राजेन्द्र नि0 पीर माजरा थाना कुतुबशेर सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 01 चाकू नाजायज

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1 . म0अ0स0 62/022 धारा 380/457/411 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर।

2.. मु0अ0सं0 208/024 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना सदर बाजार सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0 नि0 श्री देवेन्द्र अधाना थाना सदर बाजार सहारनपुर
2. का0 1340 पुष्पेन्द्र कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर
3. का0 1837 सचिन थाना सदर बाजार सहारनपुर।

दिनांक- 08.04.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 नाजायज चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में आगामी लोक सभा निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियन्त्रण हेतु अवैध शस्त्र एवं इनके कारोबार में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक सदर बाजार के कुशल नेतृत्व में गठित टीम द्वारा दिनांक 08.04.2024 को चैकिंग/गस्त के दौरान अभियुक्त **रिन्कू पुत्र अशोक निवासी फतेहपुरजट थाना सदर बाजार सहारनपुर** उम्र 30 वर्ष को घोडा कालौनी गेट से कालोनी मे अन्दर की ओऱ करीब 100 कदम की दुरी पर से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 01 चाकू नाजायज बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 209/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

रिन्कू पुत्र अशोक नि0 फत्तेहपुर जट थाना सदर बाजार सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- चाकू नाजायज

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. म0अ0स0 218/021 धारा 414 भादवि थाना सदर बाजार
2. मु0अ0सं0 219/021 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना सदर बाजार सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 209/024 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना सदर बाजार सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0 नि0 श्री देवेन्द्र अधाना थाना सदर बाजार सहारनपुर

2.का0 1340 पुष्पेन्द्र कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर

दिनांक- 08.04.2024

-प्रेस नोट-

<u>वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश</u>

<u>थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद</u>

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में आगामी लोक सभा निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियन्त्रण हेतु अवैध शस्त्र एवं इनके कारोबार में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री अमित कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08.04.2024 को थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा एक शातिर अपराधी **राजा उर्फ घोलू पुत्र चमन सिंह निवासी मौ0 अफगानान कस्बा व थाना नानौता जिला सहारनपुर** को कुतुबपुर से नानौता की तरफ वाले रास्ते के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 तमन्चा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना नानौता पर मु0अ0स0-87/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि मै लोगो को डराने धमकाने व गलत काम करने के लिये अपने पास तमन्चा रखता हूँ। यह तमंचा मैने राह चलते एक व्यक्ति से खरीदा था जिसका नाम पता मै नही जानता।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-</u>

राजा उर्फ घोलू पुत्र चमन सिंह निवासी मौ0 अफगानान कस्बा व थाना नानौता जिला सहारनपुर

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

- 01 तमन्चा 315 बोर
- 01 कारतूस जिन्दा 315 बोर

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1. उ0नि0 जितेन्द्र सिह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. है0का0 250 कविन्द्र सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. Hg 2030 जीशान खान थाना नानौता जनपद सहारनपुर

दिनांकः 08.04.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, 01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में आगामी लोक सभा निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियन्त्रण हेतु अवैध शस्त्र एवं इनके कारोबार में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सन्दीप कुमार के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 08.04.2024 को चैकिंग के दौरान एक शातिर अपराधी **समीर पुत्र सराजूद्दीन R/O कोलकी कला PS गागलहेडी जनपद सहारनपुर** को देहरादून हाईवे पर भगवानपुर रोड पर बने ओवर ब्रिज के नीचे गागलहेडी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना गागलहेडी पर मु0अ0सं0 058/2024 धारा 3/25 आमर्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभि0 समीर उपरोक्त थाना गागलहेड़ी के मु0अ0सं0- 42/2024 धारा 379/411 भादवि में भी वांछित चल रहा था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि दिनांक 17/18.03.2024 को रात्रि मे मैने अपने 02 अन्य साथियों के साथ मिलकर ग्राम कोलकी मे खेत मे लगी टयूबैलो से स्टार्रर, कटआउट की पत्ती पीतल की व केबल आदि सामान चोरी किया था। मै पहले भी कई मुकदमे मे जेल जा चुका है। अपराध कारित करने के लिये मै अपने पास अस्लाह रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

समीर पुत्र सराजूद्दीन R/O कोलकी कला PS गागलहेडी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 161/2022 धारा 380/411 भादवि थाना गागलहेडी सहारनपुर
2. मु0अ0स0 57/2020 धारा 60/63 आबकारी एक्ट भादवि थाना गागलहेडी सहारनपुर
3. मु0अ0स0 42/2024 धारा 379 भादवि भादवि थाना गागलहेडी सहारनपुर
4. मु0अ0स0 075/2014 धारा 3 यूपी गुण्डा एक्ट भादवि थाना गागलहेडी सहारनपुर
5. मु0अ0स0 102/2013 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना सदर बाजार सहारनपुर
6. मु0अ0स0 739/2012 धारा 307 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर
7. मु0अ0स0 740/2012 धारा 4/25 आमर्स एक्ट भादवि थाना गागलहेडी सहारनपुर
8. मु0अ0स0 58/24 धारा 3/25 आमर्स एक्ट भादवि थाना गागलहेडी सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 01 तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.थानाध्यक्ष श्री सन्दीप कुमार थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर।
2. उ0नि0 कृष्णवीर सिंह थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर।
3. है0का0 317 सुनील कुमार गागलहेडी जिला सहारनपुर।
4. का0 398 नरदेव थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर।

दिनांकः 08.04.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार, सहारनपुर पुलिस द्वारा अपहृता सकुशल बरामद करते हुए अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 14.3.2024 को वादिया द्वारा थाना सदर बाजार पर उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त गगन शर्मा पुत्र संजय नि0 डेरा वशी महोली पंचकुला हरियाणा के द्वारा वादिया की नाबालिक पुत्री को बहला फुसला कर घर से भगा ले जाने के संबंध मे मु0अ0स0-118/24 धारा 363/506 भादवि0 पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेते हुए अपहृता की सकुशल बरामदगी एंव अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतू दिशा निर्देश दिये जिसके अनुपालन मे पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी थाना सदर बाजार के कुशल नेतृत्व में गठित टीम द्वारा कार्यावाही करते हुए अपहृता को सकुशल बरामद करते हुए अभियुक्त **गगन शर्मा पुत्र संजय निवासी डेरा वशी महोली हरियाणा** को दिनांक 07.04.2024 को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यावाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त का नाम व पताः-

अभियुक्त गगन शर्मा पुत्र संजय नि0 डेरा वशी महोली हरियाणा

गिरफ्तार करने वाली टीम के नाम

1. उ0 नि0 श्री धीरज सिंह थाना सदर बाजार सहारनपुर
2. है0का0 518 हरेन्द्र थाना सदर बाजार सहारनपुर
3. का0 2546 नवीत थाना सदर बाजार सहारनपुर।
4. म0है0का0 01 पुष्पा देवी थाना सदर बाजार सहारनपुर।

दिनांक- 08.04.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर,पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग के दौरान 14लाख 99 हजार 500 रुपये बरामद किये गये

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण, संदिग्ध व्यक्ति / वाहन चैंकिंग के चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08.04.2024 को थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान एक मोटरसाईकिल नं0 UP11AR 7257 पर सवार दो व्यक्ति **1.तनवीर पुत्र अब्दुल रहीम निवासी ग्राम नानका थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर 2. कुर्बान पुत्र शरीफ अहमद निवासी मक्का बास थाना गागलहेड़ी जिला सहारनपुर** के कब्जे से 14,99,500/- (14 लाख 99 हजार 500 रुपये) बरामद किये गये। पूछताछ करने पर बरामद धनराशि के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नही दिया गया और ना ही कोई भी प्रपत्र प्रस्तुत किये गये। बरामद धनराशि के सम्बन्ध मे एफएसटी टीम व आयकर विभाग को सूचित किया गया। जिनके द्वारा चुनाव आचार संहिता प्रभावी होने के कारण उपरोक्त नगद धनराशि को जब्त कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

व्यक्तियों के नाम व पता-

1.तनवीर पुत्र अब्दुल रहीम निवासी ग्राम नानका थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

2.कुर्बान पुत्र शरीफ अहमद निवासी मक्का बास थाना गागलहेड़ी जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 14,99,500/- रुपये।

बरामद करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1. व0उ0नि0 श्री रईस अहमद थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सौरभ यादव थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
3. है0का0 961 रोहित राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
4. है0का0 738 विनोद कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
5. हो0गा0 पीसी 1205 रमेश राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

दिनांक- 08.04.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर एंव सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या- 08 जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को 04 वर्ष का कठोर कारावास कारावास तथा 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः –

अवगत कराना है, कि दिनांक 04.07.2020 को वादी अनुरागजैन पुत्र एस0सी0 जैन निवासी गिलकालौनी नारायण्पूरी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर से अभियुक्तो 1.साजमी पुत्र कमरूदीन निवासी न्यू प्रीतनगर टिबा रोड (लुधियाना) थाना बस्ती जोधेवाला जिला लुधियाना, 2.छोटा पुत्र इकबाल नि0 ताजपुरा, 3.याकुब पुत्र यूसूफ निवासी मीरपुर मोहनपुर थाना नागल, 4.फरमान पुत्र जुल्फान निवासी मीरपुर मोहनपुर थाना नागल, 5.अफजाल पुत्र इकबाल निवासी मीरपुर मोहनपुर थाना नागल, 6.सुऐब पुत्र अययूब निवासी नागल, 7.सलीम नियाजुदीन निवासी कुटेश्वरा थाना चरथावल जनपद मु0नगर द्वारा 35 बोरे धागा लूट ले जाना की सूचना पर मु0अ0सं0-153/2020 धारा 395,412 भादवि थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया उपरोक्त अभियोग एसटी नं0- 1516/2020 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या- 08 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या- 08 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 08.04.2024 को अभियुक्त 1.साजमी पुत्र कमरूदीन को मु0अ0सं0 153/2020 धारा 395,412 भादवि में जुर्म इकबाल के आधार पर दोषी पाते हुए 04 वर्ष का कठोर कारावास तथा 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासकीय अधिवक्ता (ए0पी0ओ0) श्री विक्रम सिह
विवेचक उ0नि0 श्री बिनू सिह
पैरोकार है0का0 प्रीतम सिह थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर

1.छोटा पुत्र इकबाल , 2.याकुब पुत्र यूसूफ, 3.फरमान पुत्र जुल्फान, 4.अफजाल पुत्र इकबाल, 5.सुऐब पुत्र अययूब, 6.सलीम नियाजुदीन की पत्रावली माननीय न्यायालय में प्रचलित है

दिनांक- 08.04.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर एंव सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या- 08 जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को 04 वर्ष का कठोर कारावास कारावास तथा 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः -

अवगत कराना है, कि दिनांक 26.07.2020 को वादी सुमित रामपाल पुत्र बाकेबिहारी निवासी एस0के0 टैक्सटाईल कामधेनू काम्प्लेक्स थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर की फैकट्री से अभियुक्त 1.साजमी पुत्र कमरूदीन निवासी न्यू प्रीतनगर टिबा रोड (लुधियाना) थाना बस्ती जोधेवाला जिला लुधियाना, 2.छोटा पुत्र इकबाल नि0 ताजपुरा, 3.याकुब पुत्र यूसूफ निवासी मीरपुर मोहनपुर थाना नागल, 4.फरमान पुत्र जुल्फान निवासी मीरपुर मोहनपुर थाना नागल, 5.अफजाल पुत्र इकबाल निवासी मीरपुर मोहनपुर थाना नागल, 6.सुऐब पुत्र अययूब निवासी नागल, 7.सलीम नियाजुदीन निवासी कुटेश्वरा थाना चरथावल जनपद मु0नगर द्वारा 12 बोरी धागे 18 थान के कपडे 144 दर्जन बर्तन गर्म बनियान व 140 सफेद बलियान लूट ले जाना की सूचना पर मु0अ0सं0- 175/2020 धारा 395,412 भादवि थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया उपरोक्त अभियोग एसटी नं0- 1519/2020 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या- 08 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या- 08 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 08.04.2024 को अभियुक्त 1.साजमी पुत्र कमरूदीन को मु0अ0सं0 175/2020 धारा 395,412 भादवि में जुर्म इकबाल के आधार पर दोषी पाते हुए 04 वर्ष का कठोर कारावास तथा 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासकीय अधिवक्ता (ए0पी0ओ0) श्री विक्रम सिह
विवेचक उ0नि0 श्री बिनू सिह
पैरोकार है0का0 प्रीतम सिह थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर

1.छोटा पुत्र इकबाल , 2.याकुब पुत्र यूसूफ, 3.फरमान पुत्र जुल्फान, 4.अफजाल पुत्र इकबाल, 5.सुऐब पुत्र अययूब, 6.सलीम नियाजुदीन की पत्रावली माननीय न्यायालय में प्रचलित है

दिनांक- 08.04.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर एंव सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या- 08 जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को 04 वर्ष का साधारण कारावास तथा 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः -

अवगत कराना है, कि दिनांक 31.08.2020 को थाना प्रभारी श्री अभिषेक सिरोही द्वारा सूचना दी गयी की अभियुक्त 1.साजमी पुत्र कमरूदीन निवासी न्यू प्रीतनगर टिबा रोड (लुधियाना) थाना बस्ती जोधेवाला जिला लुधियाना द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करना की सूचना पर मु0अ0सं0- 209/2020 धारा 307 भादवि थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया उपरोक्त अभियोग एसटी नं0- 1518/2020 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या- 08 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या- 08 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 08.04.2024 को अभियुक्त 1.साजमी पुत्र कमरूदीन को मु0अ0सं0 209/2020 धारा 307 भादवि में जुर्म इकबाल के आधार पर दोषी पाते हुए 04 वर्ष का साधारण कारावास तथा 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासकीय अधिवक्ता (ए0पी0ओ0) श्री विक्रम सिह

विवेचक रिटायर उ0नि0 श्री भोपाल कुमार शर्मा

पैरोकार है0का0 754 प्रीतम सिह थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर

दिनांक- 08.04.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर एंव सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या- 08 जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को 03 वर्ष का साधारण कारावास तथा 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः -

अवगत कराना है, कि दिनांक 31.08.2020 को थाना प्रभारी श्री अभिषेक सिरोही द्वारा अभियुक्त 1.साजमी पुत्र कमरूदीन निवासी न्यू प्रीतनगर टिबा रोड (लुधियाना) थाना बस्ती जोधेवाला जिला लुधियाना के कब्जे से 01 अदद तमन्चा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 01 खाली खोखा बरामद होना की सूचना पर मु0अ0सं0- 210/2020 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया उपरोक्त अभियोग एसटी नं0- 1517/2020 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या- 08 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या- 08 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 08.04.2024 को अभियुक्त 1.साजमी पुत्र कमरूदीन को मु0अ0सं0 210/2020 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट में जुर्म इकबाल के आधार पर दोषी पाते हुए 03 वर्ष का साधारण कारावास तथा 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासकीय अधिवक्ता (ए0पी0ओ0) श्री विक्रम सिह
विवेचक रिटायर उ0नि0 श्री भोपाल कुमार शर्मा
पैरोकार है0का0 754 प्रीतम सिह थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर